

#### No.A. 35018/7/2011-Adm.I

#### भारत सरकार

#### Government of India विद्युत मंत्रालय

# Ministry of Power Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001 Telephone No. 23715507; FAX No. 23717519

Dated: September 22, 2011.

To

- (1) Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India
- (2) Chairperson, Central Electricity Authority.
- (3) Chairmen/Heads of all Public Sector Undertakings/Autonomous/Statutory Bodies under the administrative control of the Ministry of Power.
- (4) Chairmen of all the State Electricity Boards/Power Utilities.
- (5) Power Secretaries of all the State Governments/Union Territories.
- (6) Vice Chancellors of all Universities/ Head of all IITs/IIMs.
- (7) Chairman, Engineers India Ltd.
- (8) Secretary, PESB, New Delhi.

Subject: Appointment to the post of Member (Thermal) in the Central Electricity Authority, on deputation/short-term contract basis – inviting applications for – regarding

Sir.

I am directed to circulate the vacancy of the post of Member (Thermal) in the Central Electricity Authority (CEA), on deputation/short-term contract basis.

- 2. The post of Member in the Central Electricity Authority carries the scale of pay of Rs.22400-525-24500/- (Pre-revised) [Rs.67000-79000 (Revised)] with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India. The incumbent of the post is entitled to other allowances/benefits as per rules of the Central Government.
- 3. Appointment to the post of Member in the Central Electricity Authority is being made in accordance with the provisions contained in Section 70 of the Electricity Act, 2003 read with the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005.
- 4. Section 70 (5) of the Electricity Act, 2003 provides that the Members of the Authority shall be appointed from amongst persons of ability, integrity and standing who have knowledge of, and adequate experience and capacity in, dealing with problems relating to engineering, finance, commerce, economics or industrial matters, and at least one Member shall be appointed from each of the following categories, namely:
  - (a) engineering with specialization in design, construction, operation and maintenance of generating stations;
  - (b) engineering with specialization in transmission and supply of electricity;
  - (c) applied research in the field of electricity:
  - (d) applied economics, accounting, commerce or finance.

- In terms of the provisions contained in the Central Electricity Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005, no person shall be eligible for appointment to the office of a Member, including the Chairperson of the Authority unless he has held:
  - the post of Chief Engineer or equivalent in the scale of pay of Rs.18400-500-22400 (pre-(a) revised) [Rs.37400-67000 + Grade pay of Rs.10000 (Revised)] or higher post or scale of pay on a regular basis for at least five years under the Central Government or a State Government;

or

a post equivalent to that of a post mentioned above, under a State Electricity Board or a semi-Government Organisation or a Public Sector Undertaking or an Autonomous Body or a Statutory Body or a University or an Indian Institute of Technology or an Indian Institute of Management on a regular basis for at least five years; and

- The person would also need to possess a minimum of three years' field experience in the (b) relevant field as defined in sub-section (5) of section 70 of the Electricity Act.
- Applications can also be submitted by Chief Engineer or equivalent officer who have put in 30 years of total Group 'A' service and 3 years of qualifying service in SAG with the requisite field experience as per the relevant criteria.
- The duties and responsibilities attached to the post of Member (Thermal), CEA, is given in the Annexure-I.
- The Member shall hold office during the pleasure of the Central Government. Appointment to the post would normally be made for a period of five years, which shall be restricted to the date on which the incumbent of the post attains the age of superannuation. The officer selected will not be eligible for permanent absorption in the CEA. The maximum age limit for appointment to this post shall be 58 years on the closing date of receipt of application.
- The crucial date for determination of eligibility of applicants for the post will be the closing date for receipt of the applications.
- It is requested that the above vacancy may be given wide publicity amongst the eligible candidates and the particulars of the suitable and eligible serving persons who are willing to be considered and whose services can be spared, may please be forwarded in the enclosed Proforma (Annexure-II) (in quadruplicate) together with the following documents/information so as to reach within 45 days from the date of publication of the vacancy in the Employment News/Rozgar Samachar, to the Under Secretary (Admn). Ministry of Power, Room No.26, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001:

(i) Attested photocopies of Annual Confidential Reports for the last 5 years.

Vigilance Clearance Certificate & Integrity Certificate (to be signed by an officer not (ii) below the rank of Deputy Secretary to the Government of India.

Whether any penalty has been imposed on the applicant in the last ten years, and if (iii) so, details thereof.

Applications received after the closing date or without the prescribed documents/information will not be considered.

(Hindi version follows)

Encl: As above

(Madhukar Sood)

Yours faithfully,

Under Secretary to the Government of India

Tele No.23766236

# DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBER (THERMAL), CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

Overall thermal power development in the country; updating, development and evaluation of thermal technologies; design & engineering of thermal projects; quality assurance standards and plans; preparation of model documents and standards; thermal projects investigation & ash utilization; monitoring of construction & stabilization of thermal projects and suggesting remedial measures to problems involved; renovation, modernisation and life extension programmes etc.

# Application for the post of Member (Thermal) in the Central Electricity Authority PART - I

#### **CURRICULAM VITAE PROFORMA**

1	Manager of A.I.I.		
1	Name and Address including		
	Telephone Numbers		
	(in Block Letters)		
2	Date of Birth		
	(in Christian Era)	SECRETARY IN THE SECRETARY	
3	Date of retirement under Central/		- The state of the
	State Government/ Parent		
	Organisation Rules		
4	Educational Qualifications		
5	Whether Educational and other		
	qualifications required for the post	euries de la come dels	
	are satisfied. (If any qualification	are to a substitute of the	
	has been treated as equivalent to		
	the one prescribed in the Rules,		
	state the authority for the same)		
		Ouglië and and / Tana	
		Qualifications/Experience	Qualifications/Experience
		required	possessed by the officer
		(1)	
		(2)	
		(3)	
6	Please State clearly whether in the		-
	light of entries made by you above,		
	you meet the requirement of the		•
	post		

 Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient

Office/ Institution/Organisation	Post Held	From	То	Scale of Pay and Basic pay	Nature of Duties (in detail)

- Nature of present employment i.e.
   Ad-hoc or Temporary or on Contract basis or Permanent
- In case the present employment is held
   On deputation/contract basis, please state
  - a) the date of initial appointment
  - b) period of appointment on deputation/ Contract
  - c) name of the parent office/organization to which you belong

10 Additional details about present employment

Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column)

- a) Central Govt.
- b) State Govt.
- c) Autonomous Organisation
- d) Government Undertaking
- e) Universities/ IITs/ IIMs
- f) Others
- 11. Are you in revised scale of pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale
- 12. Total emoluments per month now drawn
- Additional information, if any, which you would like to mention in support of your suitability for the post.

(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/ Advertisement)

(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).

14. Remarks (The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/Institutions/societies and (iv) any other information.

(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae which are duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

Signature of the candidate Address: Telephone/Mobile No: Fax No:

### PART-II

(Name and address of the Office forwarding the application)

eference No Date :
ertified that:-
(a) no vigilance case/disciplinary proceedings are pending or contemplated against the above mentioned officer;
(b) no penalty has been imposed on the applicant in the last ten years (If any penalty has been imposed on the applicant please give details);
(c) no penalty is in operation against the applicant as on date (If any penalty is in operation against the applicant, please give details)
Signature Name Designation Office
( The Part-II of the application must be signed by a Competent Authority not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India )
******



#### सं0 ए-35018/7/20011-प्रशा.1

तार- इनरपावर

भारत सरकार विद्युत मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,नई दिल्ली-110001.

दूरभाष नं0 23715507, फैक्स नं0 23717519

दिनांक **२०** ० २०॥ दिनांक **२०** , २०11.

प्रति-

- (1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
- (2) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ।
- (3) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान ।
- (4) सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों के अध्यक्ष ।
- (5) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव ।
- (6) सारे विश्वविद्यालयों के कुलपति/ सारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान ।
- (7) अध्यक्ष, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ।
- (8) सचिव, पीएसईबी नई दिल्ली।

विषयः प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में, सदस्य (थर्मल) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के सबंध में।

महोदय,

मुझे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में सदस्य (थर्मल) के पद की रिक्ति को प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर भरे जाने हेतु परिचालित किए जाने का निदेश मिला है।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर, भारत सरकार के अपर सचिव की पदेन स्थिति के साथ रू० 22400-525-24500 (संशोधन पूर्व) [रू० 67000-79000 (संशोधित)] का वेतनमान दिया जाता है । पदधारी अन्य भत्ते/लाभ लेने हेतु केन्द्र सरकार के नियमानुसार पात्र होते हैं ।

- 3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पद पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार की जाती है।
- 4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 (5) में प्रावधान है कि प्राधिकरण के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें इंजीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, आर्थिक अथवा औद्योगिक मामलों का ज्ञान हो तथा इन की समस्याओं को सुलझाने का पर्याप्त अनुभव हो, तथा वे इसमें सक्षम हों, और कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी में से नियुक्त किया जाएगा अर्थात्-
- (क) उत्पादन केंद्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग।
- (ख) विद्युत के पारेषण एवं आपूर्ति में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग ।
- (ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान ।
- (घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य अथवा वित्त ।
- 5. (क) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण(अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2005 में सिम्मिलित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष सिहत सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्निलखित पद धारित न किया हो-
  - (क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर रू० 18400-500-22400 (संशोधन पूर्व) [रू० 37000-67000 + 10,000 का ग्रेड वेतन (संशोधित)] के वेतनमान में या उच्च पद या वेतनमान में मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष पद;

#### अथवा

कम से कम 5 वर्ष तक नियमित आधार पर राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

- (ख) व्यक्ति के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिमाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना भी आवश्यक है।
- (ख) मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है जिन्होंने संबंधित मानदंड के अनुसार अपेक्षित क्षेत्र संबंधी अनुभव के साथ समूह "क " में कुल 30 वर्ष सेवा तथा एसएजी में 3 वर्ष की अर्हक सेवा की हो ।
- 6. सदस्य (थर्मल) सीईए के पद से जुड़े सभी कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

- 7. सदस्य केंद्र सरकार की इच्छित समयाविध तक पद पर रहेंगे । इस पद पर नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों की अविध के लिए होगी जो कि पदधारी की सेवानिवृति की तारीख तक सीमित होगी । चयनित अधिकारी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में स्थायी समावेशन हेतु पात्र नहीं होंगे । इन पदों पर नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 58 वर्ष होगी ।
- 8. पदों हेतु आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी ।
- 9. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत अधिकारियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के विवरण निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-II) (चार प्रतियों में) में इस प्रकार से अग्रेषित करें कि ये रिक्ति के एम्पलायमेंट न्यूज़/रोज़गार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर अवर सचिव (प्रशासन), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 26, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास पहुंच जाएं-
  - (i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की सत्यापित फोटो प्रतियां ।
  - (ii) सतर्कता संबंधी अनुमित प्रमाण पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए जो भारत सरकार के उप सचिव से नीचे के पद का न हो) ।
  - (iii) क्या गत 10 वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा ।
- 10. अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त अथवा बिना निर्धारित दस्तावेज़ों/सूचना के प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि ।

(मधुकर सूद) अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाषः 23766236.

### सदस्य (थर्मल), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

#### सदस्य (थर्मल)

देश में समग्र ताप विद्युत विकास; ताप विद्युत प्रौद्योगिकियों का उन्नयन, विकास एवं मूल्यांकन; ताप विद्युत परियोजनाओं का डिजाइन एवं अभियांत्रिकी, गुणवत्ता आश्वासन मानक एवं आयोजना, मॉडल दस्तावेजों एवं मानकों की तैयारी, ताप विद्युत परियोजनाओं का अन्वेषण तथा राख का उपयोग; ताप विद्युत परियोजनाओं का निर्माण एवं स्थिरीकरण की मॉनीटरिंग और इसमें शामिल समस्याओं के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव; नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार कार्यक्रम आदि ।

### केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (थर्मल) के पद हेतु आवेदन-पत्र

#### भाग-।

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित	
2. जन्म तिथि (ईस्वीं सन् में)	
3. केंद्र/राज्य सरकार/ मूल संगठन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि	
4. शैक्षिक योग्यता	
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं। (यक् किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों व वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकश्	दे में
माना गया है तो उसके प्राधिकारी क उल्लेख करें)	
	(1) (2) (3)
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि उपर्युक प्रविष्टियों के मद्देनज़र क्या आप पद संबंध अपेक्षा पूरी करते हैं।	भी
7. कालानुक्रम में रोज़गार के ब्यौरे । य कागज संलग्न करें ।	पदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्वःप्रमाणित
कार्यालय/संस्थान/संगठन धारित पद	से तक वेतनमान एवं कार्यों की प्रकृति मूल वेतन (विस्तार में)

8. वर्तमान रोज़गार की प्रकृति अर्थात तदर्थ या अस्थायी	
या अनुबंध आधार पर या स्थायी ।	
9. यदि वर्तमान रोज़गार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर	
है तो कृपया बताएं-	
क) आरंभिक नियुक्ति की तिथिः	
ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की अवधि	
ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं	
10. वर्तमान रोज़गार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे	1
कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं	
(संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम	
दर्शाएं)	
(kilk)	
क) केंद्र सरकार	
ख) राज्य सरकार	
ग) स्वायत्तशासी संगठन	
घ) सरकारी उपक्रम	
ड.) विश्वविद्यालय/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय	
प्रबंधन संस्थान	
च) अन्य	
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां, तो	
वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधन	
पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं	
12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां	
13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो तो, जो आप	
पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें।	
(राम) अन्य सम्भें से माठा माठा (१) असिन्स मीर्शिक	
(इसमें अन्य बातों के साथ-साथ (1) अतिरिक्त शैक्षिक	
योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति	
परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक	
अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं )	
(नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज	
संलग्न करें)	

14. टिप्पणियां (आवेदक (।) अनुसंधान प्रकाशन एवं रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाओं (।।) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी मूल्यांकन(।।।)व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता और (iv) किसी अन्य सूचना के संबंध में जानकारी दे सकते हैं।)

(नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज़ संलग्न करें)

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का, पद के चयन के समय, चयन समिति के द्वारा भी मूल्यांकन किया जाएगा।

> उम्मीदवार के हस्ताक्षर पताः दूरभाष/मोबाइल नं0 फैक्स नं0

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

#### भाग-॥

## (आवेदन- पत्र अग्रेषित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं0 तारीख
प्रमाणित किया जाता है कि-
(क) उपर उल्लिखित अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित अथवा विचारणीय नहीं है;
(ख) विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें);
(ग) आज की तारीख में आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति लगी हुई है तो कृपया उसका ब्यौरा दें)
हस्ताक्षर नाम पदनाम कार्यालय
(आवेदन-पत्र का भाग-।। सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)